उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1
संख्याः07/2026/336/80-1-2026/80-1099/151/2021
लखनऊ दिनांक 05 जून, 2026

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (तीसवां संशोधन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (तीसवां संशोधन) नियमावली, 2026 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 66-क का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है), में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 66-क के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
"प्रयोक्ता प्रभार (यूजर चार्ज) 66-क- प्रधान मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल में बिक्री के लिए लाये गये गैर विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों यथा-अन्न, द्वि-दलीय उत्पाद, तिलहन, रेशे, स्वापक, मसाले, उद्यान कर्म, फल एवं शाक, द्राक्षा-कृषि उत्पाद आदि पर अधिनियम की धारा 17 (तीन) (ग) के उपबन्धों के अनुसार प्रधान मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल में उपलब्ध अवस्थापना	"प्रयोक्ता प्रभार (यूजर चार्ज) 66-क- प्रधान मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल में बिक्री के लिए लाये गये गैर विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों यथा-अन्न, द्वि-दलीय उत्पाद, तिलहन, रेशे, स्वापक, मसाले, उद्यान कर्म, फल एवं शाक, द्राक्षा-कृषि उत्पाद आदि पर अधिनियम की धारा 17 (तीन) (ग) के उपबन्धों के अनुसार प्रधान मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल में उपलब्ध अवस्थापना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	सुविधाओं और प्रदत्त वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप मण्डी समिति प्रयोक्ता प्रभार (यूजर चार्ज) उद्ग्रहीत करेगी और संग्रहीत करेगी: प्रतिबन्ध यह है कि, घोषित मण्डी उप स्थल में गैर विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों पर, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 7-क(3) में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों पर मण्डी शुल्क उद्ग्रहण एवं सग्रहण हेतु किये गये उपबन्धों के समान ही, प्रयोक्ता प्रभार उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जायेगा: अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि, किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, गैर विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद बेचने वाला व्यापारी समिति को प्रयोक्ता प्रभार (यूजर चार्ज) का देनदार होगा और दिनांक 11 मई, 2020 से सदैव देनदार हुआ समझा जायेगा और इस आधार पर कि यह पूर्व में क्रेता से वसूल नहीं किया गया है, ऐसे दायित्व से मुक्त नहीं होगा।"	सुविधाओं की प्रदत्त वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप मण्डी समिति प्रयोक्ता प्रभार (यूजर चार्ज) उद्ग्रहीत करेगी और संग्रहीत करेगी: प्रतिबन्ध यह है कि, घोषित मण्डी उप स्थल में गैर विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद पर, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 7-क(3) में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद पर मण्डी शुल्क उद्ग्रहण एवं संग्रहण हेतु किये गये उपबन्धों के समान ही, प्रयोक्ता प्रभार उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जायेगा: अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि, किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, गैर विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद बेचने वाला व्यापारी समिति को प्रयोक्ता प्रभार (यूजर चार्ज) का भुगतान करने के लिए दायी होगा और दिनांक 11 मई, 2020 से दायी हुआ समझा जायेगा और इस आधार पर उसे इस दायित्व से छूट नहीं दी जायेगी कि वह धनराशि पूर्व में क्रेता से वसूल नहीं की गयी है। प्रतिबन्ध यह भी कि राज्य सरकार, यदि वह ऐसा करना लोक हित में आवश्यक या समीचीन समझे, तो किसी गैर विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद पर प्रयोक्ता प्रभार से ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो वह समय-समय पर अवधारित करे, छूट दे सकती है।"
नियम 96 का	3. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 96 के उपनियम-(3)	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संशोधन

एवं (4) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उप नियम रख दिये जायेगें, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान उप-नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम
(3) समिति की ओर से कोई भी चेक सिवाय ऐसे बिल पर, जिसकी जॉच लेखाकार या निदेशक द्वारा उसके निमित्त नामित समिति के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा की गयी हो, और यथास्थिति, सचिव एवं सभापति या आहरण और वितरण अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, जारी नहीं किया जायेगा; प्रतिबन्ध यह है कि एक हजार रूपये से अनधिक धनराशि के भुगतान के लिए किसी बिल को अकेले सचिव ही पारित कर सकता है: अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि सभापति की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर उप-सभापति कार्य करेगा।	(3) समिति की ओर से कोई भी चेक सिवाय ऐसे बिल पर, जिसकी जॉच लेखाकार या निदेशक द्वारा उसके निमित्त नामनिर्दिष्ट समिति के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा की गयी हो, और यथास्थिति, सचिव और सभापति या आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, जारी नहीं किया जायेगा; प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित ऐसी धनराशि से अनधिक धनराशि के भुगतान के लिए किसी बिल को अकेले सचिव ही पारित कर सकता है: अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि सभापति की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर उप-सभापति कार्य करेगा।
(4) एक हजार रूपये तक के मूल्य के चेकों को सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और ऐसे किसी भुगतान के सम्बन्ध में, जिनके लिये आहरण और वितरण अधिकारी नियंत्रक प्राधिकारी है, चेक, आहरण और वितरण अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किए जाएंगे, और अन्य समस्त चेकों को सचिव हस्ताक्षरित एवं सभापति द्वारा और सभापति की अनुपस्थिति में उप-सभापति द्वारा	(4) राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित ऐसी धनराशि तक के मूल्य के चेकों को सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और किसी ऐसे भुगतान से संबंधित चेक, जिसके लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी ही नियंत्रक प्राधिकारी है, पर आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किए जाएंगे, और अन्य समस्त चेकों पर सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और सभापति द्वारा

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा।

प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे एवं उनकी अनुपस्थिति में उप-सभापति द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा।

आज्ञा से,

रविन्द्र

प्रमुख सचिव।

संख्या-07/2026/336/80-1-2026/80-1099/151/2021, एतद्दिनांक।

1- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद की प्रति दिनांक 05 जून, 2026, इस आशय से प्रेषित कि असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड 'क' में प्रकाशित कराकर अधिसूचना की 100 प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें।

2- निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, लखनऊ।

3- निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।

5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

टी० के० शिबु

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।